

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक एफ 24 (27) चिकि.स्वा./ग्रुप-3/2009


जयपुर, दिनांक 13.11.2009

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।
2. कुल सचिव,
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषय :- जी.एन.एम. नर्सिंग/बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स हेतु वर्ष 2009-10 में छात्र आवंटन करने बाबत।


उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि निम्नलिखित निजी शिक्षण संस्थाओं को जी.एन.एम. नर्सिंग/बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स हेतु वर्ष 2009-10 में राजकीय कोटे एवं फैंडरेशन कोटे से नियमानुसार अविलम्ब छात्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावे :-

1. पिंग सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर (बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स हेतु)।
2. पिंग सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग, जयपुर।
3. श्री विनायक नर्सिंग स्कूल, जयपुर।
4. श्रीमती फूलादेवी मेमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जयपुर।


उप शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. अध्यक्ष/रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल, जयपुर।
5. संबंधित कॉलेज/स्कूल, प्रधानाचार्य/प्रबंधक को सूचनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली।


13/11/09
उप शासन सचिव